भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885

(1885 का अधिनियम संख्यांक 18)[1]

[16 अक्तूबर, 1885]

उन दशाओं के वास्ते, जिनमें खान और खनिज उस भूमि के गर्भ में स्थित हैं जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[2] **के अधीन अर्जित करने की वांछा है, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम**

यत: उन दशाओं के वास्ते, जिनमें खान और खनिज, उस भूमि के गर्भ में स्थित हैं जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[2] (1870 का 10) के अधीन अर्जित करने की वांछा है, उपबन्ध करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और क्षेत्रीय विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885 है; और

[3][(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग 3 राज्यों में समाविष्ट थे, सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह प्रथमत: उन राज्यक्षेत्रों को लागू होगा जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले मद्रास, आन्ध्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा राज्यों में समाविष्ट थे, किन्तु जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, उनमें ऐसे सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में, जो राज्य सरकार के प्रशासनाधीन है, इस अधिनियम को वह राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर प्रवर्तन में ला सकेगी ।]

2. सरकार के खनिज अधिकारों के लिए व्यावृत्ति—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम की कोई भी बात सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव न डालेगी जो किसी खान या खनिज पर उसका है ।

3. यह घोषणा कि खानों की आवश्यकता नहीं है—(1) जहां कि समुचित सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[4] (1870 का 10) की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करती है कि लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए भूमि की आवश्यकता है, वहां यदि वह ठीक समझती है, तो वह उस घोषणा में यह कथन अन्त:स्थापित कर सकेगी कि उस भूगर्भ में स्थित या उसके किसी भाग के गर्भ में स्थित जो भी कोयला, लोह-पाषाण या स्लेट या अन्य खनिज की खानें हैं उनकी कोई आवश्यकता उन खानों या खनिजों के ऐसे भाग के सिवाय नहीं है जिसका खोदा जाना, ले जाया जाना या काम में लाया जाना उस संकर्म के निर्माण के लिए आवश्यक है जिसके प्रयोजन के लिए वह भूमि अर्जित की जा रही है ।

(2) जहां कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[4] (1870 का 10) की धारा 6 के अधीन किसी भूमि की बाबत उपर्युक्त रूप का कथन घोषणा में अन्त:स्थापित नहीं किया गया है और कलक्टर की यह राय है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस भूमि को लागू करने चाहिए, वहां वह उन खानों की बाबत उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रतिकर की निविदा करने से प्रविरत रह सकेगा, और—

(क) जबकि वह उस अधिनियम की धारा 14[5] के अधीन कोई अधिनिर्णय करता है, तब वह उस अधिनिर्णय में ऐसा कथन अन्त:स्थापित कर सकेगा;

(ख) जबकि वह उस अधिनियम की धारा 15[6] के अधीन न्यायालय को निर्देश करता है, तब वह अपने निर्देश में ऐसा कथन अन्त:स्थापित कर सकेगा; अथवा

(ग) जबकि वह भूमि का कब्जा उस अधिनियम की धारा 17[7] के अधीन लेता है, तब वह ऐसा कथन, ऐसी रीति से, जैसी समुचित सरकार समय-समय पर विहित करे, प्रकाशित कर सकेगा ।

---

[1] 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित ।

[2] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 6 देखिए ।

[5] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 11 देखिए ।

[6] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 19 देखिए ।

[7] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 17 देखिए ।

(3) यदि ऐसा कथन, घोषणा, अधिनिर्णय या निर्देश में अन्त:स्थापित किया जाता है, या उपर्युक्त रूप में प्रकाशित किया जाता है, तो जब वह भूमि उक्त अधिनियम के अधीन सरकार में निहित होती है, तब उस कथन में विनिर्दिष्ट भूगर्भ में स्थित या उसके किसी भाग के गर्भ में स्थित कोयले, लोह-पाषाण, स्लेट की खानें या अन्य खनिज उपर्युक्त के सिवाय सरकार में निहित नहीं होंगे ।

4. भूगर्भ स्थित खानों की खुदाई करने से पूर्व सूचना का दिया जाना—यदि वह व्यक्ति, जो इस प्रकार अर्जित किसी भूगर्भ में स्थित खान की खुदाई करने या खनिजों को निकालने का तत्समय अव्यवहित रूप से हकदार है, यह चाहता है कि उसकी खुदाई की जाए या उसे निकाल लिया जाए, तो वह ऐसा करने के अपने आशय की लिखित रूप में सूचना ऐसी खुदाई प्रारम्भ करने के साठ दिन पहले समुचित सरकार को देगा ।

5. खुदाई निवारित या निर्बन्धित करने की शक्ति—(1) ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन सूचना की प्राप्ति के पश्चात् किसी भी समय या समयों पर तथा उक्त साठ दिन की कालावधि के चाहे अवसान के पूर्व या पश्चात्, समुचित सरकार उन खानों या खनिजों का निरीक्षण, उस प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति द्वारा करा सकेगी जिसे उसने उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है; और

(2) यदि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि उन खानों या खनिजों या उनके किसी भाग की खुदाई से या निकाले जाने से उस भूमि की सतह या उस पर के किसी संकर्म को हानि पहुंचने की संभाव्यता है, तो समुचित सरकार अपनी रजामन्दी की [1]*** घोषणा कर सकेगी कि वह—

(क) या तो उन खानों या खनिजों में कोई भी हित रखने वाले सब व्यक्तियों को भी उन खानों या खनिजों या उनके उस भाग के लिए, जो उस समय तक खोदे या निकाले नहीं गए हैं, प्रतिकर देगी, अथवा

(ख) ऐसे सभी व्यक्तियों को उन खानों या खनिजों, या उनके किसी भाग के प्रतिफलस्वरूप प्रतिकर देगी जिनकी ऐसी रीति से और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें समुचित सरकार अपनी घोषणा में विनिर्दिष्ट करे, खुदाई की जा रही है या जिन्हें निकाला जा रहा है ।

(3) यदि वह घोषणा, जो (क) में उल्लिखित है, की गई है, तो तत्पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा न तो उन खानों का या उनके ऐसे भाग की खुदाई की जाएगी और न उन खनिजों को या उनके ऐसे भाग को निकाला जाएगा ।

(4) यदि वह घोषणा, जो (ख) में उल्लिखित है, की गई है, तो तत्पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी और जैसे समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और किए जाएं, उन खानों या उनके ऐसे भाग की खुदाई करने के और उन खनिजों के या उनके ऐसे भाग को निकाले जाने के सिवाय न तो खुदाई की जाएगी और न निकाला जाएगा ।

[2][(5) इस धारा के अधीन की गई हर घोषणा, ऐसी रीति से, जैसी समुचित सरकार निदिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी ।]

6. हितबद्ध व्यक्तियों का और प्रतिकर की रकम का अवधारण करने का ढंग—जहां कि किसी खान की खुदाई या खनिज का निकाला जाना धारा 5 के अधीन निवारित या निर्बन्धित किया गया है, वहां जो व्यक्ति क्रमश: उन खानों या खनिजों में और उन्हें देय प्रतिकर की रकमों में हितबद्ध हैं, उनका अभिनिश्चय सब आवश्यक उपान्तर किए जाकर उस रीति से किया जाएगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[3] (1870 का 10) द्वारा उन व्यक्तियों को, जो क्रमश: उस अधिनियम के अधीन अर्जित की जाने वाली भूमि में और उन्हें देय प्रतिकर की रकमों में हितबद्ध हैं, अभिनिश्चित करने के लिए उपबन्धित है ।

7. यदि समुचित सरकार प्रतिकर देने की प्रस्थापना नहीं करती तो खानों की उचित रीति से खुदाई की जा सकेगी—(1) यदि समुचित सरकार उक्त साठ दिनों के अवसान के पूर्व धारा 5 में यथा उपबन्धित घोषणा प्रकाशित नहीं करती है, तो तत्पश्चात् जब तक ऐसी घोषणा नहीं कर दी जाती है, तब तक ऐसी खानों का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी उन खानों की या उनके किसी भाग की, फायदाप्रद खुदाई के लिए उचित और आवश्यक रीति से और उस स्थानीय क्षेत्र में जहां वे स्थित हैं, ऐसी खानों की खुदाई की प्रचलित रीति के अनुसार, खुदाई कर सकेगा ।

(2) यदि खानों के अनुचित रूप से खुदाई करने से ऐसी भूमि की सतह या उस पर के किसी संकर्म को कोई नुकसान होता है या बाधा होती है, तो ऐसी खानों का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी, यथास्थिति, तुरन्त अपने व्यय पर उस नुकसान की मरम्मत कराएगा, या उस बाधा को हटाएगा ।

(3) यदि तुरन्त ऐसी मरम्मत नहीं की जाती या बाधा हटाई नहीं जाती, या यदि समुचित सरकार, स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी द्वारा ऐसा किए जाने के लिए प्रतीक्षा किए बिना ही यह बात करना ठीक समझती है, तो समुचित सरकार उसे स्वयं कर सकेगी तथा उसमें हुए व्यय को ऐसे स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी से वसूल कर सकेगी ।

8. खान के भीतर संचार—यदि किन्हीं खानों की खुदाई धारा 5 के अधीन निर्धारित या निर्बन्धित कर दी गई है, तो उन खानों के क्रमश: स्वामी, पट्टेदार और अधिभोगी उस दशा में, जिसमें कि उनकी खानों का विस्तार ऐसा है कि वे उन खानों की दोनों तरफ हैं जिनकी खुदाई निवारित या निर्बन्धित की गई है, ऐसे और इतने वायु मार्ग, शीर्ष द्वार, प्रवेश द्वार, या जलतल उन खानों, संस्तरों या स्तरों के भीतर काट और बना सकेंगे जितने उनकी उक्त खानों को संवातित करने, उनमें जल निकासी और उनकी खुदाई के लिए

---

[1] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "ऐसी रीति में जैसी सपरिषद् गवर्नर जनरल समय-समय पर निर्दिष्ट करे" शब्द निरसित किए गए ।

[2] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।

आवश्यक हों, किन्तु ऐसे वायु मार्ग, शीर्ष मार्ग, प्रवेश मार्ग या जलतल इतने आकार या काट से बड़े न होंगे जितना समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, और जहां कि आकार इस प्रकार विहित नहीं किया गया है, वहां वे न तो आठ फीट से अधिक चौड़े होंगे, न आठ फीट से अधिक ऊंचे होंगे और न वे सतह या संकर्म के किसी भाग पर ऐसे काटे या बनाए जाएंगे जिससे उसे कोई क्षति पहुंचे या उसके उपयोग में कोई बाधा पड़े ।

9. खानों को की गई क्षति के लिए समुचित सरकार प्रतिकर देगी—समुचित सरकार उन खानों के जिनका विस्तार उन खानों की दोनों तरफ है, जिनकी खुदाई निवारित या निर्बन्धित कर दी गई है स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को, ऐसे सब अतिरिक्त व्यय और हानियों की पूर्ति के लिए रकम देगी जो उन खानों के ऊपर वाली भूमि के पृथक्करण हो जाने के कारण या पूर्वोक्त रूप से उन खानों की लगातार खुदाई में हुई बाधा के कारण, अथवा उसकी खुदाई ऐसी रीति से और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन किए जाने के कारण, कि सतह या संकर्म पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या उसको क्षति न पहुंचे, तथा समुचित सरकार द्वारा अर्जित नहीं किए गए उन खनिजों लेखे, जो पूर्वगामी धाराओं के अधीन की गई कार्यवाही के कारण अभिप्राप्त नहीं किए जा सकते, उठाने पड़े या पड़ी हैं, तथा यदि समुचित सरकार और पूर्वोक्त स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के बीच कोई विवाद या प्रश्न उन हानियों या खर्चों के बारे में उठता है, तो उनका निपटारा यथाशक्य निकटतम उस रीति से किया जाएगा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[1] (1870 का 10) के अधीन देय प्रतिकर की रकम के निपटाए जाने के लिए उपबंधित है ।

10. तथा ऐसे वायु मार्ग या अन्य संकर्म के कारण हुई क्षति के लिए समुचित सरकार द्वारा प्रतिकर दिया जाना—यदि उन भूमियों के, जो किन्हीं ऐसी खानों के जिनकी खुदाई पूर्वोक्त रूप से निवारित या निर्बन्धित कर दी गई है, ऊपर वाली है, स्वामी या अधिभोगी को (जो उन खानों का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी नहीं है) कोई हानि या नुकसान पूर्वोक्त जैसे कोई वायु मार्ग या अन्य संकर्म बनाने से उठाना पड़ा है जो या जिनके समान ही संकर्म उस दशा में उसमें बनाने आवश्यक न होते जिसमें कि खानों में खुदाई पूर्वोक्त रूप से निवारित या निर्बन्धित न की गई होती, तो जो हानि या नुकसान सतह वाली भूमियों के स्वामी या अधिभोगी को ऐसे उठाना पड़ा है उसके लिए पूरा प्रतिकर समुचित सरकार उस स्वामी या अधिभोगी को देगी ।

11. खानों में प्रवेश करने की और उनकी खुदाई का निरीक्षण करने की समुचित सरकार के अधिकारी की शक्ति—इस बात को बेहतर तौर पर अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्जित भूमि के गर्भ में स्थित किन्हीं खानों की इस प्रकार खुदाई हो रही है, या हो चुकी है या होना संभाव्य है जिससे उस भूमि को या उस पर स्थित संकर्म को कोई क्षति हो, ऐसा कोई अधिकारी जो समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है, चौबीस घन्टों की लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसी खानों में या उनसे सम्बद्ध संकर्मों में प्रवेश कर सकेगा और उनसे वापस आ सकेगा तथा ऐसा नियुक्त अधिकारी उन खानों के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के किसी साधित्र या मशीनरी को उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग में ला सकेगा तथा जो भूमि ऐसे अर्जित की गई है उसके किसी भाग से उन खानों के किसी भाग की कितनी दूरी है जिनकी खुदाई हो गई है या हो रही है या होनी संभाव्य है, उसका पता लगाने के लिए सब आवश्यक साधनों को काम में ला सकेगा ।

12. निरीक्षण करने देने से इन्कार के लिए शास्ति—यदि ऐसी खानों या संकर्मों का कोई स्वामी, पट्टे पर या अधिभोगी समुचित सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को उपर्युक्त रीति से ऐसी खानों या संकर्मों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने की इजाजत देने से इंकार करेगा, तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

13. यदि इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल खानों की खुदाई की जाती है तो समुचित सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि अर्जित भूमि की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं—यदि यह प्रतीत होता है कि खानों की खुदाई इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल की गई है, तो यदि समुचित सरकार ठीक समझती है, वह उनके स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को यह सूचना देगी कि तुम ऐसे संकर्म बनाओ और ऐसे उपाय करो जो अर्जित भूमि और उस पर के संकर्मों को सुरक्षित रखने के लिए और उनको क्षति से बचाने के लिए आवश्यक हों, और यदि ऐसी सूचना के पश्चात् ऐसा कोई स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी अर्जित भूमि और उस पर के संकर्मों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संकर्म फौरन बनाने के लिए अग्रसर नहीं होता, तो समुचित सरकार वे संकर्म स्वयं बना सकेगी और उसमें लगा व्यय ऐसे स्वामी, पट्टेदार या, अधिभोगी से वसूल कर सकेगी ।

14. जबकि अर्जित भूमि किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी को अन्तरित कर दी गई है तब अधिनियम का अर्थान्वयन—जबकि धारा 3 के अधीन कोई कथन किसी भूमि के सम्बन्ध में किया गया है और वह भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है और वह भूमि स्थानीय प्राधिकारी को या किसी कम्पनी को अंतरित की गई है या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसमें निहित हो गई है, तब [2][धारा 5 की उपधारा (5) और धारा 8 के सिवाय] धारा 4 से लेकर धारा 13 तक में जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं, जहां-जहां "समुचित सरकार" पद आया है, वहां उसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो उसके स्थान में "यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी, जिसने भी भूमि अर्जित की है" शब्द रख दिए गए हों ।

15. [लंबित मामले ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1937 (1937 का 20) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

16. स्थानीय प्राधिकारी और कम्पनी की परिभाषा—इस अधिनियम में—

---

[1] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।

[2] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) "स्थानीय प्राधिकारी" से ऐसी कोई नगरपालिक समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि का नियन्त्रण या प्रबन्ध करने का हक विधित: प्राप्त है या सरकार द्वारा सौंपा गया है; तथा

(ख) "कम्पनी" से ऐसी कोई कम्पनी अभिप्रेत है जो कम्पनियों से संबंधित ऐसी अधिनियमितियों में से, जो [1][भारत] में समय-समय पर प्रवृत्त हों, किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा [2][यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट के अधिनियम के या रायल चार्टर या लैटर्स पेटेण्ट के अनुसार बनाई गई है;

[2][(ग) संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, "समुचित सरकार" से, केन्द्रीय सरकार और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ।]

17. इस अधिनियम का भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 के साथ पढ़ा जाना—यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त सब अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1870[3] (1870 का 10) के साथ पढ़ा जाएगा और उसका एक भाग समझा जाएगा ।

———

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य और भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।